न्यायालय:- पी.सी. आर्य, विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

डकैती प्रकरण<u>क्रमांकः 194/2015</u> संस्थित दिनांक—14/09/2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोजन

वि क्त द्ध

1— मुन्ना उर्फ तिलक सिंह गुर्जर पिता गजाधर , उम्र 32 साल निवासी आदर्श नगद पिंटू पार्क ग्वालियर

2— नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह गुर्जर पिता औतार सिंह, निवासी ग्राम पहाडी थाना बामौर जिला मुरैनाआरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियाजक आरोपी मुन्ना उर्फ तिलकसिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि. आरोपी नरेश सिंह द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

-::- <u>आ दे श</u> -::-

(आज दिनांक 05 नबम्बर, 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. इस आदेश के द्वारा आरोप संबंधी निराकरण किया जा रहा है ।
- 2. आरोप के संबंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण के विरूद्ध नाबालिग लालू उर्फ कमलिसंह जाटव को गाडी पर रखने के बहाने ले जाकर अपने घरों में परिरूद्ध रखा और उससे घरेलू व पशु संबंधी कार्य कराये, उसके परिजनों को न तो स्वयं सूचित किया न ही अपहृत लालू उर्फ कमलिसह को परिजनों से बात करने दी, न करायी तथा कराये गये श्रम का कोई पारितोषिक भी नहीं दिया गया। इसलिये भा0द0वि0 की धारा—363, 344, 346 और 370 एवं 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत विचारण आरोप विरचित कर

किया जाये । आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं ने विशेष लोक अभियोजक के तर्कों का खण्डन करते हुए मूलतः यह तर्क किया है कि पुलिस कथानक मुताबिक ही लालू उर्फ कमलिसंह का कोई अपहरण या व्यपहरण नहीं हुआ है बल्कि वह स्वयं घर से चला गया था और आरोपीगण ने कोई भी अपराध नहीं किया है उन्हें पुलिस ने झूंटा फंसा दिया है इसलिये उन्हें पंजीबद्ध सभी आरोपों से उन्मोचित किया जावे ।

3. उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया, मूल अभिलेख जिसमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र एवं दस्तावेजों, व तथ्य परिस्थितियों का चिन्तन मनन किया गया । अभियोगपत्र के साथ संलग्न एफ आई आर, नक्शामौका, साक्षियों के पुलिस कथन पीडित नाबालिग लालू उर्फ कमलसिंह के पुलिस कथन व धारा—164 द.प्र.सं. के तहत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष लिये गये कथन आदि का अवलोकन करने पर अभियोजन कथानक मुताबिक पीडित नाबालिग कमलसिंह के उर्फ पिता बाबूराम् दिनांक—06 / 09 / 2014 को इस आशय की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर लेखबद्ध करायी कि उसका लडका नाबालिंग लालू उर्फ कमलसिंह जाटव उम्र 14 साल जो अपने ग्राम के लंडकों के साथ गिटटी के ट्रकों पर इटावा, ग्वालियर चला जाता था जो दिनांक—22 / 8 / 14 को सुबह घर से बिना बताये चला गया, जिसका उसने गांव में व आसपास व सभी रिश्तेदारों में तलाश किया जो नहीं मिला, जिसके कारण उसे यह शंका हुई कि उसके लडके को कोई अज्ञात व्यक्ति बहुला फुसलाकर ले गया है । नाबालिग लालू उर्फ कमलसिंह के पास मोबाइल था जिसमें कमांक–9713969736 था, जो दूसरे दिन तक चालू आ रहा था, लडके को उसके भाई बदनसिंह, महाराज सिंह ने भी ढूंढा था किसको भी पता नहीं चला, जिसका हुलिया, पहचान चिन्ह व पहने हुए कपडों का विवरण देते हुए अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की

जिस पर से थाना गोहद चौराहा के अप.क.—212/14 धारा—363 भादित. का पंजीबद्ध कर घटना को जांच में लिया गया । रिपोर्टकर्ता बाबूराम के अलावा महाराज सिंह, बदन सिंह, कप्तान सिंह, अवधेश कुमार, मुन्नीबाई, जोगेन्द्र सिंह के कथन लिये । पीड़ित लालू उर्फ कमलसिंह अनुसंधान के दौरान दिनांक—14/9/2014 को बरामद हुआ, जिसका कथन लिया गया । बरामदगी व सुपुर्दगीनामा पंचनामा की कार्यवाही करते हुए उसका मेडीकल भी कराया गया । और धारा—164 जा.फौ. के अंतर्गत उसका जे.एम.एफ.सी. गोहद के समक्ष कथन कराया गया जिसके आधार पर आरोपीगण की गिरफतारी करते हुए नाबालिग लालू उर्फ कमलसिंह जाटव को आरोपीगण के द्वारा 15—20 दिन अपने घर में रखने व अवैध कार्य कराने, दास के रूप में रखने तथा उसका व्यपहरण का अपराध मानते हुए भा0द0वि० की धारा—344, 346, 370 एवं धारा—11,13 म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 का इजाफा करते हुए अभियोगपत्र पेश किया गया है।

4. पीड़ित नाबालिंग लालू उर्फ कमलिसंह के द्वारा पुलिस को दिये कथन एवं धारा—164 जा.फी. के अंतर्गत यह बताया गया है कि वह कक्षा 8 तक पढ़ा है और 22 तारीख को वह अपने घर से गोहद चौराहा से ग्वालियर बस में बैठकर गया था । मेला ग्राउण्ड के पास जब उतरा था, वहां पर उसे मुन्ना निवासी पिंटोपार्क मिला, जो उसे अपने घर यह कहकर ले गया कि वह अपनी गाड़ी पर उसे रखेगा और चार हजार रूपये देगा । मुन्ना ने 10—15 दिन घर पर रखकर मेंस की सानी करवाई, गोबर फिकवाया और उसका जो मोबाइल था वह चार्ज पर लगा था उसे मुन्ना ने ले लिया और उसके पिता से बात नहीं करने दी । फिर मुन्ना ने अपने साले नरेश के यहां भिजवा दिया । जहां नरेश ने उससे घरेलू काम पानी भरने का करवाया, नरेश ने उससे 5—6 दिन पानी भरवाया था और यह कहा था कि वह उसकी शादी करा देगा । खेती भी करवा देगा । उसने भी पिता से बात नहीं करने दी थी तथा मुन्ना ने नरेश को यह भी कह दिया था

कि उसे जाने मत देना लेकिन वह चोरी छिपे निकलकर भागकर आ गया था, जो काम कराया था उसकी मजदूरी भी उसे नहीं दी गयी।

इस तरह से नाबालिग लालू उर्फ कमलसिंह जाटव को 5. आरोपीगण द्वारा उसके घर से या पिता की संरक्षता से बहला फुसलाकर या जबर्दस्ती ले जाये जाने की स्थिति प्रकट नहीं हुई है, न ही जितनी अवधि उक्त पीडित आरोपीगण के यहां रहा, उस दौरान भी उसके साथ ऐसा कोई आरोपीगण का आचरण प्रकट नहीं हुआ जो कि अपहरण या व्यपहरण के अपराध को प्रकट करता हो और न तो कोई फिरौती की मांग की गयी, न ही उसके साथ मारपीट हुई है । बल्कि वह स्वयं ही आरोपी मुन्ना के साथ गया है। जो प्रथम दृष्टया अवयस्क अवश्य है । जिससे गाडी पर चलने की कहकर घरेलू काम कराया गया, और उसको कहीं जाने नहीं दिया तथा उसके परिजनों से उसकी बात भी नहीं करायी, न करने दी, जिससे अधिकतम मामला धारा—344, 346, 370 भा0द0वि0 की परिधि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जो अवधि उक्त पीडित द्वारा आरोपीगण के द्वारा बितायी गयी है वह 10 दिन से अधिक है और घर से न जाने देने व घरवालों से बात नहीं करने देने से सदोष परिरोध का अपराध किया जाना गुप्त स्थान में सदोष परिरोध तथा दास के रूप में उसका व्ययन (उपयोग) करना ही परिलक्षित होता है । धारा–363, 366 भा0द0वि0 के प्रमाण के लिए आवश्यक अवयव प्रकट नहीं होते हैं तथा प्रकरण में धारा—367 या 368 भा०द०वि० भी प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि उक्त पीडित को दासत्व के लिए घोर उपहति नहीं की गयी है तथा उसे अपहृत मानते हुए छिपाया या परिरोध में रखा जाना भी प्रकट नहीं होता है । धारा–344, 346 व 370 भा०द०वि० का अपराध जे.एम.एफ. सी. न्यायालय के विचारण क्षेत्राधिकार का है । इसलिये इस विशेष न्यायालय डकैती, गोहद में उक्त मामले का विचारण नहीं हो सकता है। इसलिये उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए थाना प्रभारी गोहद चौराहा को विधिवत वापिस किया जाता है।

थाना प्रभारी गोहद चौराहा, आरोपीगण को संबंधित सक्षम 6. न्यायालय में विधिवत सूचना देकर अभियोगपत्र प्रस्तुत करें और आरोपीगण सूचना के अनुपालन में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत रहें, इस निर्देश के साथ अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों को पंजी में परिणाम दर्ज कर वापिस किए जावें । शेष पत्रावली विधिवत अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनांकः 05 नबम्बर 2015

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष, न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

